रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21092021-229847
CG-DL-E-21092021-229847

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 529] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 21, 2021/भाद्र 30, 1943
No. 529] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 21, 2021/BHADRA 30, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2021

सा.का.नि. 645(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989, जिनमें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, में और अधिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित प्रारूप कतिपय नियमों को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा-प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

2. विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

3. इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को संयुक्त सचिव (एमवीएल), ईमेल: comments-morth@gov.in, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजा जा सकता है।

मसौदा नियम

1. **शीर्षक एवं प्रारंभ** - (1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (... ...संशोधन) नियम, 2021 कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम 1989 (जिसे इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में नियम 125-ग में उप-नियम (1) के तहत अंतिम परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक को निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाएगा: -

बशर्ते यह भी कि एआईएस-052 (संशोधन.1) में यथानिर्दिष्ट एआईएस-135 के प्रावधान 1 अक्टूबर, 2022 को और उसके बाद निर्मित टाइप III बसों पर लागू होंगे;

3. उक्त नियमों में, नियम 125-ग के उप-नियम (2) के बाद, निम्नलिखित परंतुक को निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाएगा: -

बशर्ते कि एआईएस-063 में यथानिर्दिष्ट एआईएस-135 के यात्री डब्बे में अग्नि सुरक्षा के प्रावधान 1 अक्टूबर, 2022 को और उसके बाद निर्मित स्कूल बसों पर लागू होंगे;

4. नियम 125-ग में, उपखंड (7), तालिका 1 के क्रमांक 7 के बाद, क्रमांक 7क निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाएगा:-

क्रं. सं.	पुरज़ा/संघटक/पुरज़े जोड़ना/ कार्य मानदंड	वाहन की श्रेणी	आवश्यकता / मानक	प्रारंभ होने की तिथि /वैधता
7 क	यात्री डिब्बे में फायर अलार्म और सुरक्षा प्रणाली	एम 3 श्रेणी की टाइप III बसें और स्कूल बसें	एआईएस-135	1 अक्टूबर, 2022

IndiaCode

[फा. सं. आरटी-11016/37/2021-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

नोट:- मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), दिनांकित 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित की गई और अंतिम बार इसमें अधिसूचना संख्या सा.का.नि. _____(अ) दिनांकित _____ द्वारा संशोधन किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2021

G.S.R. 645(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

2. The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

3. Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL), email: comments-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

Draft Rules

1. Short Title and commencement. - (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (……Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicle Rules 1989 (hereinafter referred as the said Rules), after the last proviso under sub-rule (1) in Rule 125-C, the following proviso shall be inserted as under:

Provided also that the provisions of AIS-135 shall be applicable to Type III buses, as specified in AIS-052(Rev.1), which are manufactured on and after the 1st day of October, 2022;

3. In the said rules, after sub-rule (2) in Rule 125-C, the following proviso shall be inserted as under:-

Provided that the provisions on fire protection in occupant compartment of AIS-135 shall be applicable to school Buses, as specified in AIS-063, which are manufactured on and after the 1st day of October, 2022;

4. In rule 125-C, sub clause (7), Table 1, after Sr. No. 7, Sr. No. 7A shall be inserted as under: -

Sr. No.	Parts/components/ Assemblies/ Performance Parameter	Vehicle Category	Requirement / Standards	Date of commencement / validity
7A	Fire Alarm and Protection system in occupant compartment	Type III buses of category M3 and school buses	AIS-135	1st October, 2022

[F. No. RT-11016/37/2021-MVL]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note. The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. _____(E) dated _____.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.09.21 22:53:24 +05'30'